

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्र. एफ 4(2) ग्रावि/महानरेगा/अडिवियो/2010

जयपुर, दिनांक:-

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

21 JAN 2010

विषय: अमृता देवी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाली महिलाओं को घाघरा लुगड़ी देने बाबत।

प्रसंग: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.07.09 एवं 1.09.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अमृता देवी विश्नोई योजनान्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकल महिला द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर 250/- रू० सममूल्य की घाघरा ओढनी दी जानी है। आशा है कि इस संबंध में आपके द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी होगी।

इसके अतिरिक्त कृपया दिनांक 27.01.2010 तक यह भी अवगत कराने का श्रम करे कि इस वित्तीय वर्ष के लिए माह दिसम्बर 09 की समाप्ति तक कितनी महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है एवं इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी महिलाओं को लाभान्वित किये जाने की संभावना है।

भवदीय,

(एन.के. गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)